

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042023-245530 CG-DL-E-28042023-245530

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262] No. 262] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2023/वैशाख 8, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2023/VAISAKHA 8, 1945

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 324(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसान विकास पत्र योजना, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है. अर्थात:-

- 1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम किसान विकास पत्र (दूसरा संशोधन) योजना, 2023 है।
 - (2) यह 1 अप्रैल 2023 से प्रवृत्त समझी जाएगी।
- 2. किसान विकास पत्र योजना, 2019 (जिसे इसके पश्चात उक्त योजना के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के पैरा 5 में, -
- (क) उप- पैरा (1घ) में, "1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "1 जनवरी, 2023 और 31 मार्च, 2023 के बीच (जिसमें यह दोनों तारीखें सम्मिलित हैं)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखें जाएंगे;
 - (ख) उप- पैरा (1 घ) के पश्चात, निम्नलिखित उप- पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
- "(1ङ) सारणी-4 में,1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात खोले गए खाते की परिपक्वता अवधि नौ वर्ष और सात माह होगी और परिपक्वता पर खाते में जमा की गई राशि दोगुनी हो जाएगी।"।
- 3. उक्त योजना में, पैरा 6 में, उप-पैरा (3) में, -2814 GI/2023 (1)

(क) सारणी-4 में, "1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "1 जनवरी, 2023 और 31 मार्च, 2023 के बीच (जिसमें यह दोनों तारीखें सम्मिलित हैं) शब्द, अंक और कोष्ठक रखें जाएंगे;

(ख) सारणी-4 के पश्चात, निम्नलिखित सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"सारणी-5 [1 अप्रैल 2023 को या उसके पश्चात 1000 रुपये के साथ खोले गए खाते की परिपक्वता-पूर्व बंद करने के मूल्य दर्शाने वाली सारणी]

प्रमाण पत्र की तारीख से उसके नकदीकरण की तारीख तक की अवधि	ब्याज सहित देय राशि (रुपए)
(1)	(2)
ढाई वर्ष किंतु तीन वर्ष से कम	1171
तीन वर्ष किंतु साढ़े तीन वर्ष से कम	1208
साढ़े तीन वर्ष किंतु चार वर्ष से कम	1247
चार वर्ष किंतु साढ़े चार वर्ष से कम	1286
साढ़े चार वर्ष किंतु पांच वर्ष से कम	1328
पांच वर्ष किंतु साढ़े पांच वर्ष से कम	1370
साढ़े पांच वर्ष किंतु छह वर्ष से कम	1414
छह वर्ष किंतु साढ़े छह वर्ष से कम	1459
साढ़े छह वर्ष किंतु सात वर्ष से कम	1506
सात वर्ष किंतु साढ़े सात वर्ष से कम	1554
साढ़े सात वर्ष किंतु आठ वर्ष से कम	1604
आठ वर्ष किंतु साढ़े आठ वर्ष से कम	1655
साढ़े आठ वर्ष किंतु नौ वर्ष से कम	1708
नौ वर्ष किंतु साढ़े नौ वर्ष से कम	1763
साढ़े नौ वर्ष किंतु प्रमाणपत्र की परिपक्वता से पूर्व	1819
प्रमाणपत्र की परिपक्कता पर	2000"

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन — किसान विकास पत्र (दूसरा संशोधन) योजना, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी तथापि, किसी भी व्यक्ति पर इस संशोधित योजना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

टिप्पण – मूल योजना संख्यांक सा.का.नि. 920(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 283(अ), तारीख 9 मई, 2020 और सा.का.नि. 837(अ), तारीख 22 नवंबर, 2022 और सा.का.नि. 52 (अ), तारीख 27 जनवरी, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2023

G.S.R.324(E) — In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Kisan Vikas Patra Scheme, 2019, namely:-

- 1. (1) This Scheme may be called the Kisan Vikas Patra (Second Amendment) Scheme, 2023.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2023.
- 2. In the Kisan Vikas Patra Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 5,
 - a. in sub-paragraph (1D), for the words and figures, "on or after the 1st day of January, 2023", the words, figures and brackets "between 1st January, 2023 and 31st March, 2023 (both days inclusive)" shall be substituted;
 - b. after sub-paragraph (1D), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-
 - "(1E) The maturity period of an account opened on or after the 1st day of April, 2023 shall be nine years and seven months and the deposits made in the account shall double on maturity."
- 3. In the said Scheme, in paragraph 6, in sub-paragraph (3),
 - a. in TABLE-4, for the words and figures, "on or after the 1st day of January, 2023", the words, figures and brackets "between 1st January, 2023 and 31st March, 2023 (both days inclusive)" shall be substituted;
 - b. after TABLE-4, the following TABLE shall be inserted, namely:-

"TABLE-5 [Table showing premature closure value of account opened on or after 1st day of April, 2023 with 1000 rupees]

Period from the date of the certificate to the date of its encashment	Amount payable inclusive of interest (Rupees)
(1)	(2)
Two and half years but less than three years	1171
Three years but less than three and half years	1208
Three and half years but less than four years	1247
Four years but less than four and half years	1286
Four and half years but less than five years	1328
Five years but less than five and half years	1370
Five and half years but less than six years	1414
Six years but less than six and half years	1459
Six and half years but less than seven years	1506
Seven years but less than seven and half years	1554
Seven and half years but less than eight years	1604
Eight years but less than eight and half years	1655
Eight and half years but less than nine years	1708
Nine years but less than nine and half years	1763
Nine and half years but before Maturity of Certificate	1819
On maturity of certificate	2000"

[F. No. 1/04/2016-NS]

Explanatory Memorandum. - The Kisan Vikas Patra (Second Amendment) Scheme, 2023 takes effect from the date as specified in the notification. However, no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment Scheme.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G.S.R. 920(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide numbers G.S.R 283(E), dated the 9th May, 2020, G.S.R. 837(E), dated the 22nd November, 2022 and G.S.R. 52(E), dated the 27th January, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 27 अप्रैल. 2023

सा.का.नि. 325(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है. अर्थात:-

- 1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम राष्टीय बचत (मासिक आय खाता) (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 है।
 - (2) यह 1 अप्रैल 2023 से प्रवृत्त समझी जाएगी।
- 2. राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) योजना, 2019 के पैरा 5 में,-
- (क) उप- पैरा (1ग) में, "1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "1 जनवरी, 2023 और 31 मार्च, 2023 के बीच (जिसमें यह दोनों तारीखें सम्मिलित हैं)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखें जाएंगे :
 - (ख) उप- पैरा (1 ग) के पश्चात, निम्नलिखित उप- पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
- "(1घ) इस योजना के अधीन 1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात की गई जमा राशि पर प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।"।

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन — राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी तथापि, किसी भी व्यक्ति पर इस संशोधित योजना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिकृल प्रभाव नहीं पडेगा।

टिप्पण – मूल योजना संख्यांक सा.का.नि. 917(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 286(अ), तारीख 9 मई, 2022 और सा.का.नि. 839(अ), तारीख 22 नवंबर, 2022, सा.का.नि. 55 (अ), तारीख 27 जनवरी, 2023 और सा.का.नि. 239(अ), तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2023

G.S.R.325(E) — In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019, namely:-

- 1. (1) This Scheme may be called the National Savings (Monthly Income Account) (Third Amendment) Scheme, 2023.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2023.
- 2. In the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019, in paragraph 5,-

- a. in sub-paragraph (1C), for the words and figures, "on or after the 1st day of January, 2023", the words, figures and brackets "between 1st January, 2023 and 31st March, 2023 (both days inclusive)" shall be substituted;
- b. after sub-paragraph (1C), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(1D) The deposit made under this Scheme on or after the 1st day of April, 2023 shall bear interest at the rate of 7.4 per cent. per annum.".

[F. No. 1/04/2016-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum. – The National Savings (Monthly Income Account) (Third Amendment) Scheme, 2023 takes effect from the date as specified in the notification. However, no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment Scheme.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G. S. R. 917(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 286(E), dated the 9th May, 2022, G.S.R. 839 (E), dated the 22nd November, 2022, G.S.R. 55 (E), dated the 27th January, 2023 and G.S.R. 239 (E), dated the 31st March, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 326(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम वरिष्ठ नागरिक बचत (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 है।
 - (2) यह 1 अप्रैल 2023 से प्रवृत्त समझी जाएगी।
- 2. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2019 के पैरा 5 में,-
 - (क) उप-पैरा (1ग) में, "1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "1 जनवरी, 2023 और 31 मार्च, 2023 के बीच (जिसमें यह दोनों तारीखें सम्मिलित हैं)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखें जाएंगे;
 - (ख) उप-पैरा (1ग) के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
 - "(1घ) 1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात इस योजना के अधीन किए गए जमा पर प्रतिवर्ष 8.2 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा ।"।

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस]

आशीष वच्छानी. अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन — वरिष्ठ नागरिक बचत (तीसरा संशोधन) योजना, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी तथापि, किसी भी व्यक्ति पर इस संशोधित योजना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

टिप्पण – मूल योजना संख्यांक सा.का.नि. 916(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 287(अ), तारीख 5 मई, 2022 और सा.का.नि. 842(अ), तारीख 23 नवंबर, 2022, सा.का.नि. 56 (अ), तारीख 27 जनवरी, 2023 और सा.का.नि. 240(अ), तारीख 31 मार्च, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2023

G.S.R.326(E) — In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Senior Citizens' Savings Scheme, 2019, namely:-

- 1. (1) This Scheme may be called the Senior Citizens' Savings (Third Amendment) Scheme, 2023.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2023.
- 2. In the Senior Citizens' Savings Scheme, 2019, in paragraph 5,-
 - (a) in sub-paragraph (1C), for the words and figures, "on or after the 1st day of January, 2023", the words, figures and brackets "between 1st January, 2023 and 31st March, 2023 (both days inclusive)" shall be substituted;
 - (b) after sub-paragraph (1C), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-
 - "(1D) The deposit made under this Scheme on or after the 1st day of April, 2023 shall bear interest at the rate of 8.2 per cent. per annum.".

[F. No. 1/04/2016-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum.- The Senior Citizens' Savings (Third Amendment) Scheme, 2023 takes effect from the date as specified in the notification. However, no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment Scheme.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i) vide number G. S. R. 916(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide number G.S.R. 287 (E), dated the 5th May, 2020, G.S.R. 842(E), dated the 23rd November, 2022, G.S.R. 56(E), dated the 27th January, 2023 and G.S.R. 240 (E), dated the 31st March, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 327(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:

- 1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (दूसरा संशोधन) योजना, 2023 है।
 - (2) यह 1 अप्रैल 2023 से प्रवृत्त समझी जाएगी।
- 2. राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त योजना के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के पैरा 7 में. -
 - (क) उप-पैरा 1 (ग) में, "1 जनवरी, 2023 को या उसके पश्चात", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "1 जनवरी, 2023 और 31 मार्च, 2023 के बीच (जिसमें यह दोनों तारीखें सम्मिलित हैं)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखें जाएंगे;;
 - (ख) उप-पैरा 1 (ग) के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा और सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"1(घ) योजना के अधीन 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात किए गए जमा पर नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट ब्याज दर लागृ होगी।

सारणी

क्र.सं.	खाते की श्रेणी	ब्याज की दर(प्रतिशत. प्रति वर्ष)
(1)	(2)	(3)
1.	एक वर्ष	6.8
2.	दो वर्ष	6.9
3.	तीन वर्ष	7.0
4.	पांच वर्ष	7.5

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन — राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (दूसरा संशोधन) योजना, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी तथापि, किसी भी व्यक्ति पर इस संशोधित योजना को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

टिप्पण – मूल योजना संख्यांक सा.का.नि. 922(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 289(अ), तारीख 9 मई, 2022 और सा.का.नि. 838(अ), तारीख 22 नवंबर, 2022, और सा.का.नि. 53 (अ), तारीख 27 जनवरी, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2023

G.S.R.327(E) —In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the National Savings Time Deposit Scheme, 2019, namely:-

- 1. (1) This Scheme may be called the National Savings Time Deposit (Second Amendment) Scheme, 2023.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2023.
- 2. In the National Savings Time Deposit Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 7,-
 - (a) in sub-paragraph 1(C), for the words and figures, "on or after the 1st day of January, 2023", the words, figures and brackets "between 1st January, 2023 and 31st March, 2023 (both days inclusive)" shall be substituted;
 - (b) after sub-paragraph 1(C), the following sub-paragraph and Table shall be inserted, namely:-
 - "1(D) The rate of interest as specified in the Table below shall be applicable to the deposit made on or after 1st day of April, 2023 under the Scheme.

Table

S. No.	Category of account	Rate of interest (per cent. per annum)
(1)	(2)	(3)
1.	One-year	6.8
2.	Two-years	6.9

3.	Three-years	7.0
4.	Five-years	7.5".

[F. No. 1/04/2016-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum.- The National Savings Time Deposit (Second Amendment) Scheme, 2023 takes effect from the date as specified in the notification. However, no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment Scheme.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 922(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide number G.S.R. 289(E), dated the 9th May, 2020, G.S.R. 838(E), dated the 22nd November, 2022 and G.S.R. 53(E), dated the 27th January, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 328(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) स्कीम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थातु:-

- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2023 है।
 (2) यह 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त समझी जाएगी।
- 2. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) स्कीम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 5 में.--
 - (क) उपपैरा (2ख) में "1 जनवरी, 2023 को अथवा उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
 - (क) उपपैरा (2ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(2ग) 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् एक हजार रुपए से खोले गए खाते का परिपक्वता मूल्य एक हजार चार सौ उनचास रुपए और तीन पैसा होगा तथा पैरा 4 के उपपैरा (1) के अनुसार अन्य किसी राशि के साथ किए गए जमाओं के समानुपात होगा। परिपक्वता मूल्य की संगणना करने में रुपए के किसी भी अंश को निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ पचास पैसे या उससे अधिक किसी भी रकम को एक रुपया माना जाएगा और पचास पैसे से कम किसी भी रकम को छोड़ दिया जाएगा।";

- (ग) उपपैरा (3) की सारणी 3 में,--
- (i) "1 जनवरी, 2023 को अथवा उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2023 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;
- (ii) सारणी-3 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"सारणी-4 [1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् क्रय किए गए प्रमाणपत्रों के लिए]

वर्ष जिसके लिए ब्याज प्रोद्भूत किया जाता है	1000 रु. मूल्य वर्ग के प्रमाणपत्र पर प्रोद्भूत ब्याज की रकम (रुपए में)
पहला वर्ष	77.00
दूसरा वर्ष	82.93
तीसरा वर्ष	89.31
चौथा वर्ष	96.19
पांचवा वर्ष	103.60

टिप्पण: अन्य किसी मूल्य वर्ग के प्रमाणपत्र पर प्रोद्भूत ब्याज की रकम उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की समानुपाती होगी।"।

- 3. उक्त स्कीम के पैरा 7 के उपपैरा (4) में,-
 - (क) सारणी-3 में "1 जनवरी, 2023 को अथवा उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 जनवरी, 2023 और 31 मार्च, 2023 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ; (ख) सारणी-3 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

सारणी-4 [1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् 1000 रुपए से खोले गए खाते को परिपक्वता पूर्व बंद करने के मूल्य को दर्शाने वाली सारणी]

खाता खोलने की तारीख से इसके परिपक्वता पूर्व बंद होने की तारीख की अवधि	ब्याज सहित देय रकम (रुपए)
(1)	(2)
तीन वर्ष या उससे अधिक, परंतु तीन वर्ष और छह मास से कम	1214.77
तीन वर्ष और छह माह या उससे अधिक, परंतु चार वर्ष से कम	1254.80
चार वर्ष या उससे अधिक, परंतु चार वर्ष और छह माह से कम	1296.16
चार वर्ष और छह माह या उससे अधिक, परंतु पांच वर्ष से कम	1338.87"।

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस] आशीष वच्छानी, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन—राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII निर्गम) (दूसरा संशोधन) स्कीम, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी । तथापि, इस संशोधित स्कीम को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा ।

टिप्पण: मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 919(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.िन. 284(अ), तारीख 5 मई, 2020 तथा संख्यांक सा.का.िन. 54(अ), तारीख 20 जनवरी, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2023

- **G.S.R.328(E)** —In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the National Savings Certificates (VIII Issue) Scheme, 2019, namely:-
- 1. (1) This Scheme may be called the National Savings Certificates (VIII Issue) (Second Amendment) Scheme, 2023.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2023.
- 2. In the National Savings Certificates (VIII Issue) Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 5,-
 - (a) in sub-paragraph (2B), for the words and figures, "on or after the 1st day of January, 2023", the following words, figures and brackets "between 1st January, 2023 to 31st March, 2023 (both days inclusive)" shall be substituted;
 - (b) after sub-paragraph (2B), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-
 - "(2C) The maturity value of an account opened on or after the 1st day of April, 2023 with one thousand rupees shall be one thousand four hundred forty nine rupees and three paisa and proportionate for deposits made with any other sum as per sub-paragraph (1) of paragraph 4. In calculation of maturity value, any amount in fraction of a rupee shall be rounded off to the nearest rupee and for this purpose, any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.";
 - (c) in sub-paragraph (3), in TABLE-3,-
 - (i) for the words and figures, "on or after 1st day of January, 2023", the words, figures and brackets "between 1st January, 2023 to 31st March, 2023 (both days inclusive)" shall be substituted;
 - (ii) after TABLE-3, the following TABLE shall be inserted, namely:-

"TABLE-4 [For the certificates purchased on or after 1st day of April, 2023]

The year for which interest accrues	Amount of interest (rupees) accruing on certificated of Rs.1000 denomination
First Year	77.00
Second Year	82.93
Third Year	89.31
Fourth Year	96.19
Fifth Year	103.60

Note: The amount of interest accruing on a certificate of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the Table above.".

- 3. In the said Scheme, in paragraph 7, in sub-paragraph (4), -
 - (a) in TABLE-3, for the words and figures, "on or after 1st day of January, 2023", the words, figures and brackets "between 1st January, 2023 and 31st March, 2023 (both days inclusive)" shall be substituted;
 - (b) after TABLE-3, the following TABLE shall be inserted, namely:-

"TABLE-4 [Table showing premature closure value of account opened on or after the 1st day of April, 2023 with 1000 rupees]

Period from the date of the account to the date of its pre-mature closure	Amount payable inclusive of interest (rupees)
(1)	(2)
Three years or more, but less than three years and six months	1214.77
Three years and six months or more, but less than four years	1254.80
Four years or more, but less than four years and six months	1296.16
Four years and six months or more, but less than five years	1338.87".

[F. No. 1/04/2016-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum.- The National Savings Certificates (VIII Issue) (Second Amendment) Scheme, 2023 takes effect from the date as specified in the notification. However, no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment Scheme.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 919(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide number G.S.R. 284(E), dated the 5th May, 2020 and G.S.R. 54(E), dated the 20th January, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2023

सा.का.नि. 329(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम सुकन्या समृद्धि खाता (संशोधन) स्कीम, 2023 है।
- (2) यह 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त समझी जाएगी।
- 2. सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 5 में,--
 - (क) उपपैरा (1क) में "1 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर "1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2023 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
 - (ख) उपपैरा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
 - "(1ख) 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् खाते में किए गए जमाओं तथा खाते के प्रत्यय के जमा पर 8.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा ।"।

[फा. सं. 1/04/2016-एनएस]

आशीष वच्छानी, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन—सुकन्या समृद्धि (संशोधन) स्कीम, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी। तथापि, इस संशोधित स्कीम को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

टिप्पण : मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 922(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.िन. 288(अ), तारीख 5 मई, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2023

G.S.R.329(E) —In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Sukanya Samriddhi Account Scheme, 2019, namely:-

- 1. (1) This Scheme may be called the Sukanya Samriddhi Account (Amendment) Scheme, 2023.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2023.
- 2. In the Sukanya Samriddhi Account Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 5.-
 - (a) in sub-paragraph (1A), for the words and figures, "on or after the 1st day of April, 2020", the following words, figures and brackets "between 1st April, 2020 to 31st March, 2023 (both days inclusive)" shall be substituted;
 - (b) after sub-paragraph (1A), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-
- "(1B) The deposits made in the account on or after the 1st day of April, 2023 and the balances at the credit of the account shall earn interest at the rate of 8.0 per cent. per annum.".

[F. No. 1/04/2016-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum.- The Sukanya Samriddhi Account (Amendment) Scheme, 2023 takes effect from the date as specified in the notification. However, no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment Scheme.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 922(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide number G.S.R. 288(E), dated the 5th May, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 27 अप्रैल. 2023

सा.का.नि. 330(अ).— केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा स्कीम, 2019 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है. अर्थात:-

- 1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (संशोधन) स्कीम, 2023 है।
- (2) यह 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त समझी जाएगी।
- 2. राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा स्कीम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 9 में, सारणी 1.1 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात :--

"सारणी-1.1

अवधि, जिसके दौरान खाता खोला गया	100 रु. मूल्य वर्ग के किसी खाते पर पुन:संदेय रकम (रुपए में)
12.12.2019 से 31.03.2020 तक	7231.38
01.04.2020 से 31.03.2023 तक	6969.67
01.04.2023 को या उसके पश्चात्	7043.27
अन्य किसी मूल्य वर्ग के किसी खाते पर ब्याज सहित संदेय रकम, सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की समानुपाती होगी"।	

- 3. उक्त स्कीम के पैरा 10 के उपपैरा (2) के खंड (क) में,--
 - (क) सारणी 1.1 में, "1 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2023 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
 - (ख) सारणी 1.1 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"सारणी-1.2

[1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् खोले गए तथा परिपक्वता अवधि या पैरा 10 के उपपैरा (1) के अधीन यथाविस्तारित परिपक्वता अवधि से आगे मासिक जमाओं के साथ जारी खातों पर ब्याज सहित पुन:संदेय रकम]

गर्ण करों की गंकण कियाें साम जारी राम	100 ਨੂੰ ਸਦੂਸ਼ ਕੁਸ਼ੀ ਕੇ ਕਿਸ਼ੀ ਕੁਸ਼ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਰਕੁਸ਼ (ਤੁਸ਼ਸ਼ ਸੇਂ)
पूर्ण वर्षों की संख्या, जिनमें खाता जारी रहा	100 रु. मूल्य वर्ग के किसी खाते पर रकम (रुपए में)
एक वर्ष	8731.07
दो वर्ष	10525.97
तीन वर्ष	12434.77
चार वर्ष	14464.70
पांच वर्ष	16623.44
	1) 0 0 0 0 0

अन्य किसी मूल्य वर्ग के किसी खाते पर ब्याज सहित संदेय रकम, सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की समानुपाती होगी"।

- 4. उक्त स्कीम के पैरा 11 के उपपैरा (2) में,--
 - (क) सारणी 2.1 में, "1 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2023 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
 - (ख) सारणी 2.1 के पश्चात निम्नलिखित सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थातु :--

"सारणी-2.2

[1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् खोले गए तथा परिपक्वता अवधि या पैरा 10 के उपपैरा (1) के अधीन यथाविस्तारित परिपक्वता अवधि से आगे बिना किन्ही नई मासिक जमाओं के साथ जारी खातों पर ब्याज सहित पुन:संदेय रकम]

पूर्ण वर्षों की संख्या, जिनमें खाता जारी रहा	100 रु. मूल्य वर्ग के किसी खाते पर रकम (रुपए में)
एक वर्ष	7490.21
दो वर्ष	7965.51
तीन वर्ष	8470.98
चार वर्ष	9008.52
पांच वर्ष	9580.17

अन्य किसी मूल्य वर्ग के किसी खाते पर ब्याज सहित संदेय रकम, सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की समानुपाती होगी"।

- 5. उक्त स्कीम के पैरा 12 के उपपैरा (1) में,--
 - (क) सारणी 2.1 में, "1 अप्रैल, 2020 को अथवा उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2023 के बीच (जिसमें ये दोनों तारीखें भी शामिल हैं)" अंक, शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;
 - (ख) सारणी 2.1 के पश्चातु निम्नलिखित सारणी अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थातु:-

"सारणी-2.2 [1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् खोले गए तथा खाता बंद होने तक, इस स्कीम के अधीन पांच वर्षों के दौरान जमाकर्ता की मृत्यु पर विधिक उत्तराधिकारी या नामनिर्देशितियों को संदेय रकम]

किए गए जमाओं	100 रु. मूल्य वर्ग के लिए	किए गए जमाओं की	- 100 रु. मूल्य वर्ग के लिए रकम
की संख्या	रकम (रुपए में)	संख्या	(रुपए में)
1 से 11	किए गए जमा	36	3963.80
12	1240.86	37	4084.68
13	1347.75	38	4206.19
14	1455.19	39	4328.33
15	1563.19	40	4451.09
16	1671.74	41	4574.48
17	1780.84	42	4698.51
18	1890.51	43	4823.18
19	2000.74	44	4948.48
20	2111.54	45	5074.43
21	2222.91	46	5201.03
22	2334.85	47	5328.28
23	2447.36	48	5456.18
24	2560.46	49	5584.74
25	2674.13	50	5713.96
26	2788.39	51	5843.85
27	2903.24	52	5974.40
28	3018.68	53	6105.62
29	3134.71	54	6237.52
30	3251.34	55	6370.10
31	3368.56	56	6503.36

32	3486.39	57	6637.30
33	3604.83	58	6771.93
34	3723.87	59	6907.25
35	3843.52	60	7043.27

अन्य किसी मूल्य वर्ग के किसी खाते पर ब्याज सहित संदेय रकम, सारणी में विनिर्दिष्ट रकम की समानुपाती होगी"।

> [फा. सं. 1/04/2016-एनएस] आशीष वच्छानी, अपर सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन—राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (संशोधन) स्कीम, 2023 अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी। तथापि, इस संशोधित स्कीम को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

टिप्पण: मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.िन. 922(अ), तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.िन. 285(अ), तारीख 5 मई, 2020 और सा.का.िन. 838(अ), तारीख 22 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2023

G.S.R.330(E) — In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the National Savings Recurring Deposit Scheme, 2019, namely:-

- 1. (1) This Scheme may be called the National Savings Recurring Deposit (Amendment) Scheme, 2023.
 - (2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2023.
- 2. In the National Savings Recurring Deposit Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 9, for the TABLE 1.1, the following TABLE shall be substituted, namely:-

"TABLE-1.1

Period during which account is opened	Amount (Rupees) repayable on an account of 100 rupees denomination	
From 12.12.2019 to 31.03.2020	7231.38	
From 01.04.2020 to 31.03.2023	6969.67	
On or after 01.04.2023	7043.27	
Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table".		

- 3. In the said Scheme, in paragraph 10, in sub-paragraph (2), in clause (a),-
 - (a) in TABLE-1.1, for the words and figures, "on or after the 1st day of April, 2020", the following words, figures and brackets "between 1st April, 2020 to 31st March, 2023 (both days inclusive)" shall be substituted;
 - (b) after TABLE-1.1, the following TABLE shall be inserted, namely:-

"TABLE-1.2

[Amount inclusive of interest repayable on the accounts opened on or after the 1st day of April, 2023 and continued with monthly deposits beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 10]

Number of completed years for which the account	Amount (Rupees) on an account of 100 rupees	
continued	denomination	
One years	8731.07	
Two years	10525.97	
Three years	12434.77	
Four years	14464.70	
Five years	16623.44	
Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the		

Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table".

- 4. In the said Scheme, in paragraph 11, in sub-paragraph (2),-
 - (a) in TABLE-2.1, for the words and figures, "on or after the 1st day of April, 2020", the following words, figures and brackets "between 1st April, 2020 to 31st March, 2023 (both days inclusive)" shall be substituted;
 - (b) after TABLE-2.1, the following TABLE shall be inserted, namely:-

"TABLE-2.2

[Amount inclusive of interest repayable on the accounts opened on or after the 1st day of April, 2023 and continued without any fresh monthly deposits beyond the maturity period or maturity period as extended under sub-paragraph (1) of paragraph 11]

Number of completed years for which the account	Amount (Rupees) on an account of 100 rupees	
continued	denomination	
One years	7490.21	
Two years	7965.51	
Three years	8470.98	
Four years	9008.52	
Five years	9580.17	
Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the		
amount specified in the table".		

- 5. In the said Scheme, in paragraph 12, in sub-paragraph (1),-
 - (a) in TABLE-2.1, for the words and figures, "on or after the 1st day of April, 2020", the following words, figures and brackets "between 1st April, 2020 to 31st March, 2023 (both days inclusive)" shall be substituted;
 - (b) after TABLE-2.1, the following TABLE shall be inserted, namely:-

"TABLE-2.2

[Amount payable to legal heir or nominees on the death of the depositor in five years under this Scheme on the accounts opened on or after the 1st day of April, 2023 and up to the closure of the account]

Number of	Amount (Rupees) for	Number of	Amount (Rupees) for
deposits made	denomination of 100 rupees	deposits made	denomination of 100 rupees
1 to 11	Deposits made	36	3963.80
12	1240.86	37	4084.68
13	1347.75	38	4206.19
14	1455.19	39	4328.33
15	1563.19	40	4451.09
16	1671.74	41	4574.48
17	1780.84	42	4698.51
18	1890.51	43	4823.18
19	2000.74	44	4948.48
20	2111.54	45	5074.43
21	2222.91	46	5201.03

22	2334.85	47	5328.28
23	2447.36	48	5456.18
24	2560.46	49	5584.74
25	2674.13	50	5713.96
26	2788.39	51	5843.85
27	2903.24	52	5974.40
28	3018.68	53	6105.62
29	3134.71	54	6237.52
30	3251.34	55	6370.10
31	3368.56	56	6503.36
32	3486.39	57	6637.30
33	3604.83	58	6771.93
34	3723.87	59	6907.25
34	3843.52	60	7043.27

Amount repayable inclusive of interest on an account of any other denomination shall be proportionate to the amount specified in the table".

[F. No. 1/04/2016-NS]

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy.

Explanatory Memorandum.- The National Savings Recurring Deposit (Amendment) Scheme, 2023 takes effect from the date as specified in the notification. However, no one shall be adversely affected as a result of retrospective effect being given to this amendment Scheme.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 922(E), dated the 12th December, 2019 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 285(E), dated the 5th May, 2020 and G.S.R. 838(E), dated the 22nd November, 2022.